फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

बनाम

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	[illegible]	उपस्थित की बहस / प्रत्यावेदिकी के माध्यम से न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दावा अपील विचारण के साथ पेश किया है। प्रार्थी और कानूनन अभिभावकगण प्रकरण अपीली निर्णयाधीन होने के कारण [illegible] कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन उपस्थितकर्ता के पक्ष में सम्भावित है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पारा संख्या 02 में वर्णित ग्राम पड़ाणोपाचाल [illegible] पटवार मण्डल [illegible] कालखाड़ तहसील कालखाड़ [illegible] खसरा सं. 2073 से 2076 से 79 [illegible] के अलग खाता सं. 21, पुराना खाता सं. 24 के ख. नं. 5 रकबा 5.5644 है० व्यक्ति भूमि पर उपस्थितगण की [illegible] वाद बिन्दु की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय आगामी [illegible] दिनांक [illegible] को सुनाया जाएगा।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम